न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 58 / 2017

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता–
राजूराम पुत्र मोकाराम जाति भील निवासी कुड़ी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.10.2017 जो प्रकरण सं. 29 / 2017 मे तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री समुन्द्रसिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भेराराम, नायब तहसीलदार एवं सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 11 / 03 / 2020

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रकरण सं. 29 / 2017 सरकार बनाम राजूराम मे पारित निर्णय दिनांक 05.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का कुड़ी द्वारा तहसीलदार पचपदरा के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कुड़ी के खसरा नम्बर 389 / 110 रकबा 38–13 बीघा किस्म गैर मुमकीन गोचर सरकारी भूमि मे से 00–02 बीघा भूमि पर गैर सायल राजूराम पुत्र मोकाराम जाति भील नि. कुड़ी द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रकरण अन्तर्गत

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल द्वारा दौरान सुनवाई उपस्थित होकर लिखित में निवेदन किया कि मेरे द्वारा जो अतिक्रमण किया गया हैं उसे हटा दिया है एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं किया जायेगा। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 05.10.2017 के द्वारा 1.50/– रूपये जुर्माना अधिरोपित करने के साथ–साथ एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने एवं विवादित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 10.10.2017 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को न तो न्यायोचित तरीके से समुचित सुनवाई का अवसर दिया है और न ही जवाब देने का अवसर दिया गया, आनन–फानन में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली एवं जुर्माना के साथ ही सिविल कारावास का दण्डादेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण मे विषय वस्तु के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य सबूत व दस्तावेज अभिलेख पर नही लिये गये तथा केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट ने दौरान सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकट किया कि उसने किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया हैं तथा विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया था। अपीलांट की खातेदारी भूमि एवं सरकारी भूमि के मध्य तारबन्दी की गई हैं इस कारण वर्तमान में सरकारी भूमि पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं हैं। इस तथ्य पर गौर किये बिना एवं मौके की जांच किये बिना अपीलांट को राजनैतिक दबाव में आकर हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर उक्त अपीलाधीन आदेश बेदखली एवं सिविल कारावास का पारित किया है जो अपास्त व निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे पैरोकार सरकार ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम कुड़ी के खसरा नम्बर 389 / 110 रकबा 38–13 बीघा किस्म गैर मुमकीन गोचर सरकारी भूमि मे से 00–02 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अपीलार्थी द्वारा इससे पूर्व वर्ष 2014 में भी इसी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था तथा बेदखली आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन प्रकरण की सुनवाई के दौरान स्वंय अपीलांट ने प्रकट किया हैं कि उसके द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था जो अब हटा लिया हैं। इस प्रकार अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के कारण अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए एक माह के सिविल कारावास का

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दण्डादेश एवं सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

7. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को ग्राम कुड़ी के गे0मु0 गोचर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करना बताया हैं जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत जवाब में स्वंय ने उपस्थित होकर प्रकट किया हैं कि उसके द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा लिया हैं। इस प्रकार स्वंय अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया हैं कि उसके द्वारा सरकारी गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया गया था तथा उसके विरूद्ध प्रकरण दर्ज होने पर उसे हटाया गया हैं। हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट ने वर्ष 2014 में भी अतिक्रमण किया था जिस पर उसके विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया हैं। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित होकर अपीलांट ने अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया है तो फिर उसे अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता ही नही हैं। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन कि उसे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, मानने योग्य नही हैं। ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिये एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.10.2017 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

9. निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलेक्टर
बाड़मेर